रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 5, 1990/फाल्गुन 14, 1911

No. 46] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 5, 1990/PHALGUNA 14, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(आयात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना सं. 206-आई टी सी/(पीएन)/88—91

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1990

विषय:– प्रक्रिया पुस्तक, 1988—91

फाईल सं. एच.वी./आई.टी.सी./1/89—91:– वाणिज्य मंत्रालय की 30 मार्च, 1988 की सार्वजनिक सूचना सं. 2-आई टी सी (पीएन)/88– 91 के अन्तर्गत प्रकाशित यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक, 1988—91 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. उक्त प्रक्रिया पुस्तक में निम्नोक्त संशोधन नीचे उल्लिखित उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे :–

क्रम सं.	प्रक्रिया पुस्तक 1988—91 की पृष्ठ संख्या	सदर्भ	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	11	अध्याय-2 सामान्य लाइसेंसिंग प्रक्रिया पैरा 87 "क"	इस पैरा के उपरान्त निम्नोक्त नया पैरा जोड़ा जाएगा :– "स्पिलट-अप लाइसेंस" 87 ख (1) लाइसेंसिंग प्राधिकारी विभिन्न सीमाशुल्क पत्तनों पर माल की निकासी हेतु मुख्य लाइसेंस के मद्दे "स्पिलट अप" लाइसेंस (सों) के जारी करने के लिए अनुरोधों पर विचार

(1)	(2)	(3)	(4)
			कर सकते हैं । आवेदकों को आयात लाइसेंसों की स्वीकृति हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय "स्पिलट अप" लाइसेंस (सों) के जारी किए जाने के लिए विशिष्ट अनुरोध करना चाहिए ।
			(2) प्रत्येक "स्पिलट अप" लाइसेंस का न्यूनतम मूल्य 25 लाख रुपये होगा ।
			(3) वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंसों के मामले में "स्पिलट अप" लाइसेंस (सों) जारी करते समय लाइसेंसिंग प्राधिकारी मूल लाइसेंस के साथ-साथ प्रत्येक "स्पिलट अप" लाइसेंस को निम्न प्रकार से पृष्ठांकित करेगा :–
			"लाइसेंसधारी इस बात को सुनिश्चित करेगा कि मुख्य लाइसेंस और "स्पिलट अप" लाइसेंस(सों) दोनों के मद्दे किया गया "एकल मद" की कुल आयात निर्धारित न्यूनतम मूल्य सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए और वह सम्बद्ध प्रविष्टि बिल पर इस सम्बन्ध में एक घोषणा हस्ताक्षरित करेगा ।
			(4) इस मामले में जहां मुख्य लाइसेंस किसी मद के आयात हेतु प्रतिशत मूल्य सीमा के साथ-साथ कुल मिलाकर अधिकतम मूल्य सीमा दोनों के अध्यधीन वैध हो, मुख्य लाइसेंस और प्रत्येक "स्पिलट अप" लाइसेंस पर भी, प्रतिशत मूल्य सीमा के अलावा उनके सम्बन्ध में यथानुपात विशिष्ट मूल्य सीमा भी दी जाएगी, ताकि "स्पिलट अप" लाइसेंस(सों) का मद-वार मूल्य अनुमेय सीमा से अधिक न हो ।
			(5) अतिरिक्त लाइसेंसों के मामले में सम्बन्धित लाइसेंसिंग प्राधिकारी "स्पिलट अप" लाइसेंस (सों) को जारी करते समय इस बात को सुनिश्चित करेगा कि ढील की सुविधा जहां कहीं अनुमेय हो उसके अन्तर्गत कुल पात्रता को केवल मुख्य लाइसेंस पर ही रखा जाएगा ।
			(6) उपर्युक्त स्पिलट अप लाइसेंस सुविधा आर.ई.पी/स्पेशल आर. ई. पी. लाइसेंसों डी०टी०सी० और डायमंड अग्रदाए लाइसेंस और शुल्क मुक्त स्कीम के अन्तर्गत जारी लाइसेंसों के सम्बन्ध में उपलब्ध नहीं होगी ।
			(7) प्रत्येक "स्पिलट अप" लाइसेंस के लिए 100 रुपए की फीस बैंक रसीद/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से देय होगी ।
2.	137	परिशिष्ट-1-ख अनुसूची-3 परन्तुक 2(1)	इस परन्तुक के उपरान्त आगे निम्नोक्त परन्तुक जोड़ा जाएगा :– (1-क) "स्पिलट अप" लाइसेंस के लिए आवेदन फीस....100 रुपये

3. उपर्युक्त संशोधन लोकहित में किए गए हैं ।

तेजेन्द्र खन्ना, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

(Import Trade Control)

PUBLIC NOTICE NO. 206—ITC(PN)/88—91

New Delhi : the 5th March, 1990

Sub:- Hand Book of Procedures, 1988—91.

File No. HB/ITC/1/88—91.—Attention is invited to the Hand Book of Procedures, 1988—91, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 2-ITC(PN)/88—91 dated the 30th March, 1988 as amended.

2. The following amendments shall be made in the said Hand Book at appropriate places indicated below:—

Sl. No.	Page No. of Handbook of Procedures, 1988—91	Reference	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	11	CHAPTER-II GENERAL LICENSING PROCEDURE PARA 87-A	After this para, the following new para shall be added:— 'SPLIT-UP LICENCES' : 87-B (1) The licensing authority may consider requests for issue of 'Split-up' licence(s) against a main licence, for clearance of goods at different Customs ports. The applicants should make specific requests for issue of 'Split-up' licence(s) at the time of submitting applications for grant of import licences. (2) Each 'Split-up' licence will have a minimum value of Rs. 25 lakhs. (3) In the case of Actual Users Licences, while issuing 'Split-up' licence(s), the licensing authority will endorse the main licence as also each 'split-up' licence, as under:— "The license shall ensure that total import of a 'single item' against the main licence and the 'split-up' licence(s) put together, shall not exceed the maximum value limit laid down, and shall subscribe a declaration to this effect on the relevant bill of entry." (4) In cases where the main licence is valid for import of an item subject to both percentage value limit as well as the overall maximum value limit, the main licence and also each 'split-up' licence will, apart from the percentage value limit, bear the proportionate specific value limit also, so that 'split-up' licence(s) do not result in the itemwise value exceeding the permissible limits.

(1)	(2)	(3)	(4)
			(5) In the case of Additional Licences, the licensing authority concerned will ensure at the time of issuing split-up licence(s), that the total entitlement under the facility of flexibility, wherever permitted, will be retained on the main licence only.
			(6) The facility of split-up licences, as above, will not be available in the case of REP/Special REP Licences, DTC and Diamond Imprest licences and licences issued under the Duty Exemption Scheme.
			(7) A fee of Rs. 100 for each 'Split-up' licence is payable by way of bank receipt/bank draft.
2.	137	APPENDIX I-B SCHEDULE-III PROVISO 2(i)	After this proviso the following further Proviso shall be added:— (i-A) an application fee for grant of 'Split-up' licence ...Rs. 100

3. The above amendments have been made in public interest.

TEJENDRA KHANNA, Chief Controller of Imports and Exports

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990